राजस्थान सरकार
निदेशालय,समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक : एफ 11 (3)मो./ 15 सूत्रीय/आईसीडीएस/2015–16 32651-683 जयपुर, दिनांक 22-2-18

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ माननीय प्रधानमंत्री जी 15 सूत्रीय कार्यक्रम की मासिक सूचना भिजवाने के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय प्रधानमंत्रीजी नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम के संदर्भ में आगामी माह में समीक्षात्मक बैठक होने की संभावना है।

इस हेतु वर्ष 2017–18 के वार्षिक परिवार सर्वे के अनुसार आंगनबाड़ी स्तर पर समेकित बाल विकास सेवाएँ एवं पूरक पोषाहार लेने वाले इच्छुक लाभार्थियों (6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे व किशोरी बालिकाओं) तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं का पंजीकृत आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के सभी श्रेणियों के लाभार्थियों की एवं मानदेय कर्मियों की सूचना पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में माह फरवरी 2018 तक की तैयार कर दिनांक 10.03.2018 तक विभाग की ई–मेल (jdm.wcd@rajasthan.gov.in) पर भिजवाने की सुनिश्चित व्यवस्था करावें।

आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

32684-987
क्रमांक : एफ 11 (3)मो./ 15 सूत्रीय/आईसीडीएस/2015–16 जयपुर, दिनांक 22-2-18

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है उक्त सूचना निर्धारित प्रपत्र में भर कर उप निदेशक कार्यालय को दिनांक 05.03.2018 तक भिजवाने की सुनिश्चित व्यवस्था करावें

(2) AC P उप निदेशक बा. विकास की सेवा में उपलब्ध करावें

संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।